आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
11.01.2024	**वाद संख्या–61 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता श्री बिन्द प्रधान एवं अन्य, ग्राम–बमनगुटु, पो0–केरा, पंचायत–सिमीदीरी, प्रखण्ड–चक्रधरपुर, जिला–पश्चिमी सिंहभूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम आयोग कार्यालय में उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम सुनवाई में उपस्थित हैं। उनका कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री का जिला भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित रहने के कारण पिछले सुनवाई में समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा सका। आयोग के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आज अपना प्रतिवेदन पत्रांक–952 दिनांक–13.12.2023 के माध्यम से अपना पक्ष रखा है, जिसमें शिकायतकर्ताओं के राशन कार्ड रद्द होने की वजह प्रमाण सहित बताई है। दूरभाष के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता का भी कहना है कि आयोग के पिछले आदेश के बाद उन्हें MO ने बुलाकर 06 माह का राशन उपलब्ध करा दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पास पूर्व में जो राशन कार्ड था, वही राशन कार्ड दोबारा निर्गत किया जाए। आयोग शिकायतकर्ता को यह बताना चाहता है कि राशन कार्ड बनाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसमें आयोग किसी प्रकार का निर्देश निर्गत नहीं कर सकता। चूंकि शिकायतकर्ता की समस्या का निदान कर दिया गया है। अतः आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। Sd/- (**शबनम परवीन**) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- (**हिमांशु शेखर चौधरी**) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx143	